–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :–

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 56/2020

उनवान

घमला पुत्री काना पत्नी श्रीलाल जाति जाट निवासी ग्राम तिहारी, नसीराबाद
—— प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री रणजीत रावत

बनाम

1. काना पुत्र हीरा मृत (तर्क)
2. सुरज्ञान पुत्री काना पत्नि हरिराम,
3. हरिराम पुत्र रामकरण,
4. ग्यारसी पत्नि रामदयाल चौधरी, जाति जाट निवासी ग्राम तिहारी
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कार्यालय तहसील नसीराबाद जिला अजमेर
6. उप पंजीयक अधिकारी श्रीनगर जरिये कार्यालय उप तहसील श्रीनगर जिला अजमेर
7. हंसराज पुत्र छगना जाति जाट,
8. छगना पुत्र हीरा जाति जाट निवासी ग्राम तिहारी तहसील नसीराबाद जिला अजमेर

——: अप्रार्थीगण :– 1 से 4 व 7, 8 अनुपस्थित,
5 व 6 जरियें राज. पैरोकार

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

–: आदेश :– दिनांक :– 31.7.25

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि माननीय न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी संख्या 7 के द्वारा राजस्व वाद विभाजन व स्थगन हेतु धारा 212 आरटीए का प्रार्थना पत्र पेश किया था। उक्त स्थगन प्रार्थना पत्र में दिनांक 10.12.19 को यथास्थिति रखने के आदेश पारित किय गये। अप्रार्थी संख्या 7 द्वारा उक्त स्थगन प्रार्थना पत्र दिनांक 19.12.20 का नोट प्रेस में खारिज करवा लिया। प्रार्थी द्वारा वाद में प्रतिदावा व उक्त प्रार्िना पत्र पेश किया जा रहा है।

प्रार्थना पत्र के आवश्यक तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम तिहारी के खाता संख्या 70/36 किता 5 रकबा 0.63, 351/297 किता 4 रकबा 1.81, 724 किता 30 रकबा 4.28, 720/688 किता 5 रकबा 5.29, 725/671 किता 11 रकबा 3.70, 723/667 किता 8 रकबा 1.77, 721/669 किता 5 रकबा 3.96, 722/670 किता 6 रकबा 1.90, खसरा नम्बर 6370 रकबा 0.21 व 532 रकबा 0.05 की आराजी प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 2 के पिता काना पुत्र हीरा अप्रार्थी संख्या 1 की सहखातेदारी की पुश्तैनी है। उक्त आराजी पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 का बराबर–बराबर हिस्सा व हक [illegible]। उक्त आराजी का विधिवत विभाजन नही हुआ है। प्रार्थी के पिता के नाम दर्ज उक्त आराजी का विभाजन कराने से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा मना कर [illegible] पिता के लकवा होने का फायदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:04:19 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

उठाकर अप्रार्थी संख्या 3 व 4 द्वारा भूमि का विक्रय पत्र अपने पक्ष में निष्पादित करा लिया। अप्रार्थीगण आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी का कोई हक व अधिकार नही है। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जीवनकाल में खाता संख्या 719/688, 349/298, 723/667, 724/667, 725/671 की आराजी जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 30.11.2019 को अप्रार्थी संख्या 4 को व खाता संख्या 70/36, 71, 351/297, 721/669, 722/670 का विक्रय दिनांक 20.11.2019 को अप्रार्थी संख्या 3 को कर दिया है। अप्रार्थी संख्या 3 के नाम उक्त क्रयशुदा आराजी का नामान्तकरण खुल गया है। अप्रार्थी संख्या 4 के नाम नामान्तकरण नही खुला है। अप्रार्थीगण ने सम्पूर्ण प्रतिफल राशि आ कर भूमि क्रय की है। कब्जा प्रार्थी का नही है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 की जानकारी में अपनी विधिक आवश्यकता के लिये भूमि का बैचान अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के पक्ष में किया है। अप्रार्थी संख्या 1 की मृत्यु के बाद ही प्रार्थी को खातेदारी अधिकार प्राप्त होगे। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि जवाबकर्ता आराजी मुतनाजा का खातेदार है। अपनी इच्छा अनुसार उपरोक्त भूमि को बैचान करने का अधिकारी हैं। अप्रार्थी संख्या 1 ने स्वयं की बीमारी के लिये पैसो की आवश्यकता होने के कारण भूमि का बैचान किया है। विक्रय पत्र को किसी भी न्यायालय द्वारा निरस्त नही किया गया है। भूमि का कब्जा केता के पास है। प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

शेष अप्रार्थीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने प्रकरण में जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

प्रकरण विचारण के दौरान अप्रार्थी संख्या 2 से 4 भी प्रकरण में अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 1 की मृत्यु होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 का नाम तर्क किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

<u>प्रथम दृष्टया मामला :—</u>

ग्राम तिहारी के खाता संख्या 70/36 किता 5 रकबा 0.63, 351/297 किता 4 रकबा 1.81, 724 किता 30 रकबा 4.28, 720/688 किता 5 रकबा 5.29, 725/671 किता 11 रकबा 3.70, 723/667 किता 8 रकबा 1.77, 721/669 किता 5 रकबा 3.96, 722/670 किता 6 रकबा 1.90, खसरा नम्बर 6370 रकबा 0.21 व 532 रकबा 0.05 की आराजी हाल राजस्व अभिलेख में अप्रार्थी संख्या 1 काना पुत्र हीरा व अन्य व्यक्तियों की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 अप्रार्थी संख्या 1 काना पुत्र हीरा की पुत्री होने से प्रथम दृष्टया आराजी मुतनाजा पर उनका हक व अधिकार निहित है। उक्त आराजी अविभाजित है जिसके विभाजन का वाद विचाराधीन है। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के विक्रय पत्र को सिविल न्यायालय में चुनौती दी गयी है। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब में आराजी मुतनाजा के पुश्तैनी होने अथवा प्रार्थी काना पुत्र हीरा [illegible] होने का खण्डन नही किया है। अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से तक की [illegible] किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्ध होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:04:19 IST
Reason: SelfAttested

—3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :–
विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2काना पुत्र हीरा अप्रार्थी संख्या 2 की पुत्री है। आराजी मुतनाजा काना पुत्र हीरा की पुश्तैनी होने का कोई खण्डन नही है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा भूमि का बेचान भी किया है। आराजी मुतनाजा का आगे संरक्षण किया जाना न्यायोचित है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य व सुनवाई से ही तय किये जायेगे। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्व होती है।

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्वहोता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीके पक्ष में है। तद्नुसार सुविघा का संतुलन भी बहक प्रार्थी सिद्व नही होता है।

आदेश :– अतः ग्राम तिहारी के खाता संख्या 70/36 किता 5 रकबा 0.63, 351/297 किता 4 रकबा 1.81, 724 किता 30 रकबा 4.28, 720/688 किता 5 रकबा 5.29, 725/671 किता 11 रकबा 3.70, 723/667 किता 8 रकबा 1.77, 721/669 किता 5 रकबा 3.96, 722/670 किता 6 रकबा 1.90, खसरा नम्बर 6370 रकबा 0.21 व 532 रकबा 0.05 की आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरियें अस्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा पर अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से तक की आराजी पर मौके व राजस्व अभिलेख की यथास्थिति बनाये रखे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:04:19 IST
Reason: SelfAttested